

संवधान के अभिन्न अंग के रूप में समाजवादी एवं पंथनरिपेक्षता

प्रलम्ब के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय, समाजवादी, पंथनरिपेक्ष, मूल ढाँचा, 42वाँ संशोधन 1976, प्रस्तावना, संवधान सभा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संसाधनों का समान वितरण, मशरति अर्थव्यवस्था, नियोजति अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 25-28, जीवन का अधिकार, मूल अधिकार, राज्य की नीति के नदिशक तत्त्व \(DPSP\), अनुच्छेद 31C](#) ।

मेन्स के लिये:

संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, भारतीय संवधान में समाजवादी और पंथनरिपेक्ष शब्दों का महत्त्व, समाजवादी और पंथनरिपेक्ष शब्दों से संबंधित न्यायिक व्याख्या ।

[स्रोत: हदुस्तान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने "समाजवादी" और "पंथनरिपेक्ष" शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की याचिका को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कियह संवधान के [मूल ढाँचे](#) के अभिन्न अंग हैं ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने [42वें संशोधन, 1976](#) को बनाए रखा, जिसके तहत समाजवादी और पंथनरिपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया था और कहा गया था किये शब्द भारतीय संदर्भ में वशिष्ट महत्त्व रखते हैं, जो इनकी पश्चिमी व्याख्याओं से अलग है ।

समाजवादी और पंथनरिपेक्ष शब्दों को हटाने के लिये क्या तर्क प्रस्तुत किये गए?

- संवधान सभा द्वारा अस्वीकृत: 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने [प्रस्तावना](#) में पंथनरिपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन संवधान सभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया ।
 - संवधान के [अनुच्छेद 18](#) में "पंथनरिपेक्ष" शब्द को शामिल करने के प्रयासों को भी [संवधान सभा](#) ने इसी तरह अस्वीकार कर दिया था ।
- प्रस्तावना में संशोधन की तथि: एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 42वें संवधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा समाजवादी और पंथनरिपेक्ष शब्दों को शामिल करना असंवैधानिक था, क्योंकि इसे अपनाने की नश्चिती तथि 26 नवंबर, 1949 थी और संशोधन [पूर्वव्यापी प्रभाव](#) से 1976 से लागू किये गए थे ।
 - हालाँकि न्यायालय ने संवधान को एक [जीवंत दस्तावेज](#) माना जो सामाजिक आवश्यकताओं के साथ विकसित होता है तथा कहा कि इसमें समाजवादी एवं पंथनरिपेक्षता का समावेश इस विकास को दर्शाता है ।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में वर्ष 1989 का संशोधन: याचिकाकर्ताओं ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 में वर्ष 1989 के संशोधन को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि राजनीतिक दलों को पंजीकरण के लिये समाजवादी एवं पंथनरिपेक्षता के प्रतिनिधिता की शपथ लेने की आवश्यकता [अनुच्छेद 19\(1\)\(a\)](#) के तहत उनकी [अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता](#) का उल्लंघन है ।

पंथनरिपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा भारतीय अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है?

पहलू	पंथनरिपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा	पंथनरिपेक्षता की भारतीय अवधारणा
परभाषा	मुख्य रूप से इसका तात्पर्य धर्म के मामलों से राज्य का पूर्ण अलगाव है ।	राज्य और धर्म के बीच पूरी तरह से अलगाव नहीं होता है । सभी धर्मों के लिये समान सम्मान और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने में राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है । उदाहरण के लिये, मंदिर में प्रवेश को रोकना और तीन तलाक को अपराध बनाना

धर्म की भूमिका	धर्म को प्रायः नज़ी मामला माना जाता है और राज्य इससे तटस्थ रहता है।	राज्य वभिन्न धर्मों को मान्यता देने तथा उन्हें महत्त्व देने के साथ उनके सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है।
सरकार का दायित्व	सरकार पर किसी भी धर्म को समर्थन करने का कोई दायित्व नहीं है।	सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे तथा समाज में उनका उचित सम्मान सुनिश्चित करे।
व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता	राज्य के हस्तक्षेप के बिना धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने के व्यक्तिगत अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना।	धार्मिक समुदायों के सामूहिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं की सुरक्षा की जाए।
सांस्कृतिक संदर्भ	अक्सर धार्मिक संघर्ष के इतिहास वाले समाजों में वकिसति है जिसमें तटस्थता पर बल दिया जाता है।	यह वभिन्न धर्मों के बीच सह-अस्तित्व के लंबे इतिहास वाले बहुलवादी समाज में वकिसति है।
शिक्षण संस्थान	सरकारी स्कूल आमतौर पर पंथनरिपेक्ष होते हैं तथा उनमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध होता है।	स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को शामिल किया जा सकता है, जिससे समुदाय की सांस्कृतिक विविधता प्रतिबिंबित होती है।

समाजवाद की पश्चिमी अवधारणा भारतीय अवधारणा से किस प्रकार भिन्न है?

पहलू	समाजवाद की पश्चिमी अवधारणा	समाजवाद की भारतीय अवधारणा
संकेंद्रण	आर्थिक समानता प्राप्त करने के क्रम में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या सरकारी स्वामित्व पर बल देना।	संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद पर बल देना तथा सार्वजनिक और नज़ी दोनों क्षेत्रों के साथ मशरति अर्थव्यवस्था को महत्त्व देना।
आर्थिक संरचना	इसमें एक अनविर्य नयिजन मॉडल शामिल है, जहाँ राज्य प्रमुख उद्योगों को नयितरति करता है, वशेष रूप से मार्क्सवादी या लेननिवादी संदर्भों में।	इसमें एक सांकेतिक नयिजन मॉडल शामिल है, जहाँ राज्य सहयोग की भूमिका नभिता है और नज़ी क्षेत्र भी लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है।
वर्ग संघर्ष	सामाजिक परिवर्तन और क्रांति के लयि प्रेरक के रूप में वर्गों (सर्वहारा बनाम पूंजीपति) के बीच संघर्ष देखा जाता है। पूंजीवादी और समाजवादी एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं।	वर्ग संघर्ष की वकालत कयि बना सामाजिक न्याय के साथ हाशयि पर स्थिति समुदायों के उत्थान पर बल दिया जाता है।
राज्य की भूमिका	राज्य अक्सर आर्थिक नयिजन और संसाधन आवंटन में प्रमुख भूमिका नभिता है, वशेष रूप से समाजवाद के अधिकि कट्टरपंथी रूपों में।	राज्य नयामक भूमिका में होता है और वह कल्याणकारी योजनाओं को करयान्वति करने के साथ नज़ी उद्यमों एवं उदारीकरण को प्रोत्साहित करता है।
सांस्कृतिक संदर्भ	पश्चिमि के औद्योगिक पूंजीवाद और शहरीकरण की प्रतिक्रिया में वकिसति और अक्सर मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित।	उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता, तथा गहरी सामाजिक असमानताओं एवं विविध सांस्कृतिक पहचानों को संबोधित करने की आवश्यकता के संदर्भ से वकिसति।
वैश्वीकरण और व्यापार	इसमें वैश्वीकरण की आलोचना की जाने के साथ इसे पूंजीवादी शोषण का एक रूप माना जा सकता है।	इसमें वैश्वीकरण का सामान्यतः समर्थन करते हुए, भारत के लयि सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के साथ वैश्विक बाज़ारों से जुड़ने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

भारतीय संविधान के भाग IV के अंतर्गत अनुच्छेद 36-51 में DPSP को आयरिश संविधान से लिया गया है।

अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे।

1. समाजवादी सिद्धांत

- ⊕ **अनुच्छेद 38:** राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। **(44वाँ संविधान संशोधन*)**
- ⊕ **अनुच्छेद 39:**
 - ⊕ सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार।
 - ⊕ भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिये व्यवस्थित करना।
 - ⊕ कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचना।
 - ⊕ पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन।
 - ⊕ श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा।
 - ⊕ बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना।
- ⊕ **अनुच्छेद 39A:** गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता **(42वाँ संवैधानिक संशोधन)**
- ⊕ **अनुच्छेद 41:** बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने तथा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना।
- ⊕ **अनुच्छेद 42:** राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करेगा।
- ⊕ **अनुच्छेद 43:** राज्य सभी कामगारों के लिये निर्वाह योग्य मज़दूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
 - ⊕ **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये राज्य कदम उठाएगा। **(42वाँ संवैधानिक संशोधन)**
- ⊕ **अनुच्छेद 47:** लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना।

*संवैधानिक संशोधन (CA) = संवैधानिक संशोधन



2. गांधीवादी सिद्धांत

- ⊕ **अनुच्छेद 40:** राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठाएगा।
- ⊕ **अनुच्छेद 43:** राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- ⊕ **अनुच्छेद 43B:** सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। **(97वाँ संवैधानिक संशोधन)**
- ⊕ **अनुच्छेद 46:** राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
- ⊕ **अनुच्छेद 47:** राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और मादक पेय तथा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा।
- ⊕ **अनुच्छेद 48:** गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये।

3. उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत

- ⊕ **अनुच्छेद 44:** भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना।
- ⊕ **अनुच्छेद 45:** सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। **(86वाँ संवैधानिक संशोधन)**
- ⊕ **अनुच्छेद 48:** कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।
- ⊕ **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना। **(42वाँ संवैधानिक संशोधन)**
- ⊕ **अनुच्छेद 49:** राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्त्व वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना।
- ⊕ **अनुच्छेद 50:** राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये कदम उठाना।
- ⊕ **अनुच्छेद 51:** यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा।

पंथनरिपेक्षता को आकार देने में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है?

- **1962:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के **अनुच्छेद 25 और 26 (धर्म की स्वतंत्रता)** से भारतीय लोकतंत्र की पंथनरिपेक्ष प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है।
- **1973:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पंथनरिपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है।
 - मूल ढाँचा सिद्धांत के अनुसार भारतीय संविधान के कुछ मुख्य तत्त्वों को बदला या हटाया नहीं जा सकता है।
- **1994:** इसमें न्यायालय ने कहा कि पंथनरिपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार से है और

कहा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया पंथनरिपेक्ष शब्द [अनुच्छेद 25-28](#) के तहत संरक्षित मूल अधिकारों के अनुरूप है।

- [\[1994\] 1 SCR 1000](#), 1994: इसमें न्यायालय ने माना कि किसी धार्मिक समुदाय से संबंधित किसी भी संपत्तिको राज्य द्वारा (यदि आवश्यक समझा जाए) उचित मुआवजा देने के बाद अधिग्रहीत किया जा सकता है।
- [\[1994\] 1 SCR 1000](#), 2002: इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पंथनरिपेक्षता का सार, राज्य द्वारा धार्मिक मतभेदों के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव न करना है।
 - न्यायालय ने धार्मिक निरिदेश और धार्मिक शिक्षा या धर्म के अध्ययन के बीच अंतर किया और कहा कि धार्मिक शिक्षा अनुमेय है और वास्तव में वांछनीय भी है, जबकि धार्मिक निरिदेश पर प्रतिबंध है।
- [\[1994\] 1 SCR 1000](#), 2017: इसमें न्यायालय ने माना कि पंथनरिपेक्षता के लिये राज्य को धर्म से अलग रहने की आवश्यकता नहीं है; बल्कि इसे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है।
 - इसमें यह स्वीकार किया गया कि धर्म और जाति समाज का अभिन्न अंग हैं तथा इन्हें राजनीति से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है।
 - कोई राजनीतिक उम्मीदवार या उसका एजेंट चुनाव के दौरान धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर प्रचार नहीं कर सकता है क्योंकि इसे भ्रष्ट आचरण माना जाता है (RPA की धारा 123 (3))।

समाजवाद को आकार देने में भारतीय न्यायपालिका की क्या भूमिका है?

- [\[1973\] 1 SCR 1000](#), 1973: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समाजवाद संविधान के मूल ढाँचे का पहलू है, जिसे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका में देखा जा सकता है।
- [\[1977\] 1 SCR 1000](#), 1977: इसमें न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि समाजवाद के तहत लोक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये तथा तर्क दिया कि [राष्ट्रीयकरण](#) या अधिग्रहण का लक्ष्य लोक कल्याण और न्यायसंगत धन वितरण होना चाहिये।
- [\[1978\] 1 SCR 1000](#), 1978: इसमें इस बात पर बल दिया गया कि [जीवन के अधिकार](#) में सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, जो सभी नागरिकों के लिये जीवन की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के समाजवादी सिद्धांत हेतु आवश्यक है।
- [\[1980\] 1 SCR 1000](#), 1980: सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों एवं राज्य की नीति के नदिशक तत्त्वों (DPSP) के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें कहा गया कि समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के क्रम में DPSP को राज्य की नीतियों का मार्गदर्शक होना चाहिये।
- [\[1982\] 1 SCR 1000](#), 1982: इसमें कोयला उद्योग को पुनर्गठित करने के साथ लोक कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा के क्रम में [राष्ट्रीयकरण](#) को एक आवश्यक कदम बताया गया।
 - इसमें कहा गया कि [अनुच्छेद 14](#) का उल्लंघन होने पर [अनुच्छेद 31C](#) के तहत वधिक संरक्षण प्राप्त होगा।
 - [अनुच्छेद 31C](#) के तहत उन वधियों को वधिक संरक्षण मिलाता है जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि "समुदाय के भौतिक संसाधन" लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वितरित किये जाएँ ([अनुच्छेद 39 \(b\)](#)) और धन एवं उत्पादन के साधन "जनसामान्य की हानि" पर "केंद्रित" न हों ([अनुच्छेद 39 \(c\)](#))।

नषिकर्ष

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "समाजवाद" और "पंथनरिपेक्ष" को संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न अंग मानना भारतीय संदर्भ में इन अवधारणाओं की व्याख्या करने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है। पश्चिमी व्याख्याओं से इसकी भिन्नता भारत के अद्वितीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालती है जिसमें समावेशिता, सामाजिक न्याय और समान संसाधन वितरण को केंद्र में रखा जाता है।

[\[1994\] 1 SCR 1000](#), [\[1994\] 1 SCR 1000](#), [\[1994\] 1 SCR 1000](#), [\[1994\] 1 SCR 1000](#):

प्रश्न: भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथनरिपेक्ष शब्द समय के साथ किस प्रकार विकसित हुए हैं और ये पश्चिमी व्याख्याओं से किस प्रकार भिन्न हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

[\[1994\] 1 SCR 1000](#), [\[1994\] 1 SCR 1000](#):

प्रश्न: 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संविधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

- लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

उत्तर: (B)

प्रश्न: भारत के संविधान की उद्देशिका: (2020)

- (a) संविधान का भाग है कति कोई वधिकि प्रभाव नहीं रखती
- (b) संविधान का भाग नहीं है और कोई वधिकि प्रभाव भी नहीं रखती
- (c) संविधान का भाग है और वैसा ही वधिकि प्रभाव रखती है जैसा की उसका कोई अन्य भाग
- (d) संविधान का भाग है कति उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई वधिकि प्रभाव नहीं है

उत्तर: (d)

प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित "हृदि मज़दूर सभा" के संस्थापक थे? (2018)

- (a) बी. कृष्णा पल्लिई, ई. एम. एस. नंबूदरिपिद और के. सी. जॉर्ज
- (b) जयप्रकाश नारायण, दीन दयाल उपाध्याय और एम. एन. रॉय
- (c) सी. पी. रामास्वामी अय्यर, के. कामराज और वीरेशलगिम पंतुलु
- (d) अशोक मेहता, टी. एस. रामानुजम और जी. जी. मेहता

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

1. 1936 में हस्ताक्षरित "बॉम्बे घोषणापत्र" में समाजवादी आदर्शों के प्रचार का खुलकर वरिोध किया गया था।
2. इसे पूरे भारत के व्यापारिक समुदाय के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न: 'उद्देशिका (प्रस्तावना)' में शब्द 'गणराज्य' के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिये। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिक्रमणीय हैं? (2016)